भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1070

05 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति

1070. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई पहल आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (डीपीईपीपी) 2020 के प्रमुख घटक क्या हैं;

(ग) क्या स्वदेशी निर्माताओं को कोई वित्तीय प्रोत्साहन या अनुदान प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू खरीद के पक्ष में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) में कोई संशोधन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (घ): रक्षा उपस्कर के विनिर्माण में स्वदेशी डिजाइन, विकास, आरएंडडी को बढ़ावा देने के लिए विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अनेक नीतिगत पहल और सुधार किए गए हैं जिससे देश में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत रक्षा उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन तथा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है । इन नीतिगत पहलों और सुधारों में, अन्य बातों सहित शामिल हैं-

(i) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं के अधिग्रहण को प्राथमिकता प्रदान करना है । रक्षा उपस्कर के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत उपस्कर के अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी डिजाइन, विकसित और निर्मित)} श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

(ii) सेवाओं की कुल 509 मदों की पांच 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 5012 मदों की पांच 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना, जिसके लिए उनके सामने दर्शायी गई अवधि के बाद आयात पर प्रतिबंध होगा ।

(iii) एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुकर बनाने हेतु सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत करना ।

(iv) लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना ।

(v) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को उदार बनाना जिससे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत एफडीआई तक तथा सरकारी मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई तक की अनुमति देना ।

(vi) मेक प्रक्रिया को सरल बनाना ।

(vii) रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) का प्रारंभ और आईडेक्स (अदिति) योजनाओं के साथ नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना ।

(viii) उच्च गुणकों को निर्धारित करते हुए रक्षा विनिर्माण हेतु निवेश को आकर्षित करने पर बल देने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ऑफसेट नीति में बदलाव ।

(ix) देश में घरेलू आपूर्ति प्रणाली को विकसित करने और रक्षा विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना ।

(x) उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग करार (एलएटीओटी) और विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) के माध्यम से डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ।

(xi) डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में उद्योगों को परीक्षण सुविधा सहायता उपलब्ध कराना ।

(xii) प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) की शुरूआत जो नवोन्मेषी रक्षा उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए भारतीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(xiii) आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को समर्थन प्रदान करने के लिए उद्योगों हेतु डीआरडीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध डीआरडीओ पेटेंटों की निःशुल्क जानकारी प्रदान करना ।

(xiv) डीआरडीओ द्वारा उद्योगों को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना ।

2. रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (डीपीईपीपी) 2020 केवल मसौदा स्तर पर था और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया ।

(ङ) एवं (च): उच्च स्वदेशी सामग्री को अधिक अनिवार्य करके, भारतीय श्रेणियों के तहत प्राथमिकता देकर और एमएसएमई एवं स्टार्टअप के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाकर भारतीय उद्योगों के समर्थन में खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा अधिग्रहण नीति (डीएपी) 2020 को समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

****